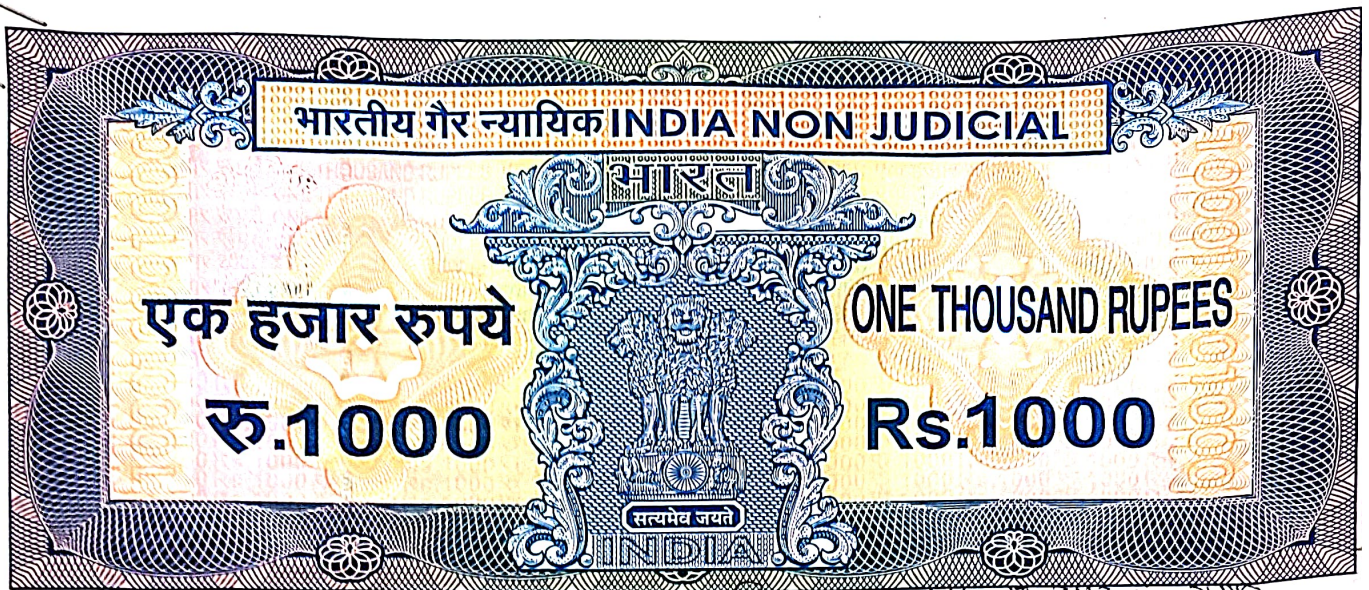




3535 18/12/25 सुनील कुमार यादव बिहार BIHAR मिर्जाबाड़ी कारागृह (जिला) - कटिहार - एम्.ए. 1000x1=1000/- AZ 151158

Treasury Office
Katihar

Shishendra
Shishendra Kr. Singh
Stamp vendor
S.R. Office Katihar
L.No - 38A/85

SUPPLEMENTRY AGREEMENT FOR AGREEMENT

Agreement No.- S.B.D. day of year-

This Agreement, made the date of, between the Executive Engineer, RWD Works Division Manihari, District- Katihar on behalf of Government of Bihar (hereinafter called 'The Employer') on the one part and Sunil Kumar Yadav, Mirchabari, Katihar (hereinafter called 'The Contractor' on the Other Part).

Whereas the Employer desirous that the contractor execute "MMGSY Gogajhill Road To Sirapar" Under MMGSY (here in after called "the Works") and the Employer has accepted the Bid by the Contractor for execution and completion of such work and removal of any defects therein at a cost of Rs.- 88,05,284.00 (Eighty Eight Lac Five Thousand Two Hundred Eighty-Four Only) The revision has been effected due to revision of Permanent Restoration Work for the above said work. All other condition shall remain the same as before. (Main Agreement Amount Value-3,61,57,896.00. Vide Agreement No.- 40/SBD/2021.)

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION MANIHARI
22.12.25

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH as follow

1. In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to , and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and remedy and defects therein in conformity in all aspects with the provisions of the Contract and undertaking routine maintenance for five years.
3. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration or the execution and completion of the works and the remedying the defects wherein and undertaking routine maintenance for five year, the contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the contract at the times and in the manner prescribed by the contract.
4. The following documents shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreements, viz:
 - i) Letter of Acceptance;
 - ii) Notice to Proceed with the works;
 - iii) Contractor's Bid;
 - iv) Contract Data;
 - v) Special Conditions of contract;
 - vi) General Conditions of Contract;
 - vii) Specifications;
 - viii) Drawings;
 - ix) Bill of Quantities; and
 - x) Any other documents listed in the contract Data as forming part of the contract.
5. Deduction :- I.T., Vat, Royalty & all other deduction will be deducted from each bill as applicable.

In witness where of the parties there to have caused this Agreement to be executed the day and year first before written.
The Common Seal of

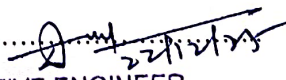
.....
Was hereunto affixed in the presence of :

Signed, Sealed and Delivered by the
said.....

.....
In the presence of :

Binding Signature of
Employer.....

Binding Signature of
Contractor.....


EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION MANIHARI
22.12.25


22.12.25

BOQ

Name of Work:					GOGAJHIL ROAD TO SURAPUR
BLOCK :-	MANIHARI				RWD (W) Division, Manihari
Sl. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Rate Figure	AMOUNT Rs. P
1	Providing & Fixing of Working benchmark/Reference Pillars 01 nos. per km & 04 Nos. of reference pillars required for 1 Km. as per drawings given and direction of E/I				
i	Benchmark Pillar 01. Nos. Per Km.	4.000	Nos	4266.710	17066.840
ii	Reference Pillar 04. Nos. Per Km.	12.000	Nos	1946.270	23355.240
2	Construction of Embankment with material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m , transporting to the site spreading , grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per Technical Specification Clause 301.5 .	1148.400	Cum	174.940	200901.100
3	Construction of subgrade and earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead upto 1000 m & 100 m as per Technical Specification Clause 303.1. (Including Royalty & Labour Cess).	1160.000	Cum	176.580	204832.800
4	Granular Sub-base with well Graded Material (Table 400.1):- Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401. (For Grading Material)	599.540	Cum	2790.410	1672962.410
5	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 3 as per Technical Specification Clause 405	590.630	Cum	3401.740	2009169.700

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION MANIHARI

S. No.	Description of work	No. or Qty.	Unit	Estimated Rate	AMOUNT Rs. P
				Figure	
16	Prime Coat (Low Porosity) :- Providing and applying primer coat with Bitumen emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.90- 1.2 kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause 502.	8217.000	Sqm	45.730	375763.410
17	Tack Coat:- Providing and applying tack coat with bitumen emulsion using emulsion pressure distributor at the rate of 0.25 to 0.30 kg per sqm on the prepared granular surface treated with Primer and cleaned with hydriloc broom as per technical specification clause 503.	10983.750	Sqm	15.540	170687.480
18	Mix Seal Surfacing Type B:- Providing, laying and rolling of close-graded premix surfacing material of 20 mm thickness composed of 11.2 mm to 0.9 mm (Type-A) or 13.2 mm to 0.9 mm (Type-B) aggregates using penetration grade bitumen to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 8-10 kN static roller and finishing to required level and grades as per Technical Specification Clause 500.	10983.750	Sqm	202.680	2226186.450
20	Providing and laying of hot applied thermoplastic Compound with Reflectorising Glass Beads on Bituminous Surface :- Providing and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflectorising glass beads @ 250 gms per sqm area, thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads as per IRC:35 .The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes	580.000	Sqm	735.440	426555.200
	Sub-Total Amount of Construction (inRs.)=				7327480.630
16	GST @ 18% =				1318946.510
48	Labour Cess @ 1% =				73274.810
	Add Seigniorage Fee @ 10 % =				85582.690
	Total Amount =				8805284.640
Quoted Rate in Words		Say 88,05,284.00			

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION MANIHARI

Revised B.O.R approved from SNo 1 to 11 for
amount Rs 88,05,284.00 (Rupee Eighty
Eight Lakh Five Thousand Two Hundred
and Eighty four.) only.

16/12/25
अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल, पूर्णिया

मुख्य अभियंता -4 पूर्णियाँ का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक:- II/मु0अ0-4,पु0त0स्वी0-11-22/25 3068

दिनांक:- 04/12/25

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, पूर्णियाँ।

विषय:- कार्य प्रमंडल मनिहारी के अधीन शीर्ष MMGSY(SC) योजनान्तर्गत पथ निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1613 अनु0 दिनांक-08.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रस्तुत 01 अदद पथ निर्माण कार्य का पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति परिशिष्ट "क" के अनुरूप निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है।

परिशिष्ट 'क'							
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के अधीन शीर्ष MMGSY(SC) योजना अन्तर्गत पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजना की सूची:-							
Sl no.	Name of Division	Administrative Approval Details			Revised TS Details		
		Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No. & Date And Revised AA Lett. No. & Date	AA Cost (in Lakh)	Revised Length (in M)	Revised TS Cost (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Manihari	MMGSY Gogajhil Road To Surapar [Block-Manihari]	4.250	1187/ 25.10.2019 1809/ 31.07.2025	366.831	4.250	438.782

1. बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक-1187 अनु0 दिनांक-25.10.2019 एवं अभियंता प्रमुख ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-1187 अनु0 दिनांक-25.10.2019 के द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदत्त है।
2. स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
3. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक महीने की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जायेगी।
5. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णियाँ ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, का दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के अनुसार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का करते हुए S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

(Signature)
22.12.25

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION MANIHARI

22.12.25

6. प्राक्कलन में स्थल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर हुए मिट्टी की मात्रा की गणना की गयी है।
 7. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता प्राक्कलन में अन्तरविष्ट मात्रा एवं दर की सम्पुष्टि कर संतुष्टि के पश्चात अग्रेत्तर कार्रवाई करेंगे।
- अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

[Handwritten signature]

मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ
[Handwritten signature]

प्रावैधिक टिप्पणी

योजना का नाम:-परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 03 के अनुसार

प्रशासनिक स्वीकृति की प्रसंग एवं राशि :-परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 05 से 06 के अनुसार।

विवरण

1. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि परिशिष्ट 'क' के स्तम्भ 08 में अंकित राशि पर सीमित की गई है। योजना के कार्यान्वयन के क्रम में व्यय की राशि प्रावैधिक स्वीकृत की राशि से अधिक नहीं होगा।
2. प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति कदापि नहीं समझा जायेगा।
3. निर्माण कार्य विभाग की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
4. प्राक्कलन की भाषा संक्षिप्त और प्रतीकात्मक मात्र है, यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। अतः परिमाण विपत्र तैयार करते समय पूर्ण विशिष्टि लिखी जाये ताकि संवेदक किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठा सके।
5. कार्यारम्भ करने से पहले अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि, वे स्वयं यह सुनिश्च करेंगे कि विभागीय कार्यादेश प्राप्त हुआ है या नहीं, कार्य स्थल का निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, कि स्वीकृत प्राक्कलन में प्रस्तावित पथ एवं पुल/पुलिया हेतु जमीन एवं निर्माण सामग्री कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप है। यदि इनको निरूपण/विस्तृत आरेखन की आवश्यकता समझते हों तो सक्षम प्राधिकार से इसकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए। प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसके स्थल चयन आकार-प्रकार की जिम्मेवारी पूरी तरह से अधीक्षण अभियंता की होगी।
6. पुनरीक्षित प्रावैधिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकता निम्न प्रकार से दी जायेगी:-
प्रस्तावित स्थलों पर पुल/पुलियों का निर्माण
अंतिम लेयर छोड़कर पथ बांध की मिट्टी कार्य
7. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पथ के सतह की प्रीलेवल निगरानी विभाग के परिपत्र के अनुसार करा लेंगे।
8. पथ निर्माण, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार ही कराया जाये।
9. मिट्टी की गणना की मात्रा एवं लागत संलग्न आड़ीकाट एवं लम्ब काट के आधार पर किया गया एवं आड़ीकाट में जमीन उपलब्ध है इसे मानते हुए गणना की गयी है जिसकी गणना विभाग के अधिकृत Consultant द्वारा की गई है एवं इसकी संपुष्टि प्रमंडल के पदाधिकारियों द्वारा की गई है ऐसा मानकर स्वीकृति दी जा रही है। परन्तु अधीक्षण अभियंता स्थल जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे कि वह स्थल के अनुरूप है अन्यथा अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।
10. मिट्टी कार्य, पुलिया कार्य में पथ बांध का स्लोप स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप रखा जाय तथा मिट्टी की चपाई विशिष्टि के अनुरूप किया जाये।
11. निर्माण में व्यवहृत सामग्री एवं स्वीकृत मदों के कार्यान्वयन में Rural Roads Specification तथा Rural Roads Manual (IRC SP:20) SP-72/ SP-62 की विशिष्टियों के अनुसार किया जाये।
12. मिट्टी कार्य पुलिया कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण होने के पश्चात अधीक्षण अभियंता स्वयं निरीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे, तत्पश्चात ही आगे कार्य कराने की स्वीकृति देंगे।
13. विभिन्न मदों की स्वीकृत परिमाण में कोई वृद्धि अनुमान्य सीमा से अधिक पूर्वानुमति के नहीं किया जाये।
14. पथों के निर्माण में कैम्बर, ग्रैडियंट Extra widening & Super elevation आदि पर पूर्ण ध्यान दिया जाये।

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION MANIHARI

15. अधीक्षण अभियंता सामाग्रियों की ढुलाई के संदर्भ में वास्तविक दूरी, परिमाण से आश्वस्त हो लेंगे तदोपरांत ही निविदा संबंधी कार्रवाई की जाएगी।
16. निविदा आमंत्रण/निष्पादन में विभागीय मार्गदर्शिका एवं विभाग से निर्गत आदेशों का कठोरता से पालन किया जाये।
17. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता कार्य आरम्भ करने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे कि MMGSY की मार्गदर्शिका एवं इस संबंध में समय-समय निर्गत बिहार सरकार के निर्देशों का उल्लंघन न हों।
18. स्वीकृत कार्य के विरुद्ध अगर किसी तरह का कार्य अन्य एजेंसी के द्वारा कराया गया हो तो इसकी लागत कार्य की लागत से नियमानुकूल घटा ली जाये।
19. प्राक्कलन की विशिष्टि में परिवर्तन मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाये।
20. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कार्य स्वीकृत राशि के अन्तर्गत समय-सीमा के अनुरूप हो।
21. मिट्टी कार्य कराने के पूर्व आश्वस्त हो लेंगे की पथ की उँचाई एच0एफ0एल0 के अनुरूप हो।
22. गुणवत्ता की जांच विभाग के गुण नियंत्रण ईकाई द्वारा आई0आर0सी0 के विशेष प्रकाशन-11 के प्रावधान के अनुरूप किया जाये।
23. जिन कार्यों का दर अनुसूचित दर पुस्तिका में नहीं है उस स्थिति में केंद्रीय पदाधिकारियों द्वारा अंकित दर को मान लिया गया है, परन्तु ऐसे मदों का दर विश्लेषण क्षेत्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्यों को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे, यदि आवश्यक हुआ हो तो संशोधनोपरांत प्राप्त करेंगे।
24. पूर्व में कराए गए कार्यों से प्राप्त सामग्रियों का लेखा में प्रविष्ट करते हुए सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदनोपरांत निर्माण में प्रयुक्त किया जाये।
25. मिट्टी एवं अन्य कार्य का भुगतान नियमानुसार सम्पादित कार्य के अनुसार किया जाये।
26. विशिष्टि के अनुरूप कार्य करने हेतु आवश्यक यंत्र-संयंत्र एवं उपकरणों की उपलब्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर प्रमाण-पत्र देंगे।
27. प्राक्कलन में प्रयुक्त प्रावैधिक ऑकड़ों को स्थल निरीक्षण के आधार पर सम्पुष्ट करने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जाय, यदि इनमें भिन्नता पायी जाती है तो प्राक्कलन संशोधन हेतु प्रस्ताव तत्काल अधोहस्ताक्षरी को समर्पित किया जाए।
28. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्य में अन्य योजना/एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। अन्यथा इस कार्य का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाय।
29. कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लें कि निर्माण सामाग्रियों (मेटल, चिप्स, बोल्टर इत्यादि) की ढुलाई निकट के अनुमोदित खादान से ही देय होगी।
30. सामग्रियों की ढुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहाँ से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा ववैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।

विश्वासभाजन

(Handwritten Signature)

मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ

ग्रामीण कार्य विभाग।

(Handwritten Signature)